



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-84/

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एस.डी. मिनरल्स, एम.एल. संख्या 56/2018, खसरा संख्या 3905/20, क्षेत्रफल 1.3452 हेक्टेयर, ग्राम मेवदाकंला द्वारा नायकी, मेवदाकंला ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन क्लस्टर खनन परियोजना संख्या 28 {मैसर्स एस.डी. मिनरल्स, एम.एल. संख्या 56/2018, उत्पादन क्षमता-260000 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.), श्री मुन्नी पुगंव माईन्स एण्ड मिनरल्स एम.एल. संख्या 20/2018, उत्पादन क्षमता-240000 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.), मैसर्स ए.बी. ग्रेनाईट, एम.एल. संख्या 37/2018, उत्पादन क्षमता-284746 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.), श्री घनश्याम सैनी, एम.एल. संख्या 19/2018, उत्पादन क्षमता-189216 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.), राठौर ब्रदर्स, एम.एल. संख्या 21/2018, उत्पादन क्षमता-203000 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.), श्री शंकर, एम.एल. संख्या 55/2018, उत्पादन क्षमता-279450 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.) एवं श्री नाथूलाल चौधरी, एम.एल. संख्या 12 ए/2013, उत्पादन क्षमता-77000 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.)}, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 12.6420.है.कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-1533412 टीपीए (आर.ओ.एम.) ग्राम नायकी एवं मेवदाकंला तहसील केकडी, जिला-अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स एस.डी. मिनरल्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना संख्या 28 की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, अजमेर।
 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
 5. कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, खान व भू-विज्ञान विभाग, सावर, जिला अजमेर।
 6. तहसील केकडी, जिला-अजमेर।
 7. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/1648 दिनांक 18.02.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03/04/2021 को दोपहर 02.30 बजे, स्थान - राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकडी, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(दीपक तंवर)
क्षेत्रीय अधिकारी